न्यायालय उपजिला कलक्टर अनूपगढ़, जिला अनूपगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 79 / 2023

जी.सी.एम.एस नं.– 2023 / 261

1. कृष्ण सिंह आयु 71 वर्ष पुत्र श्री सरताज सिंह जाति राजपूत निवासी चक–11 एल.एम तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)
2. निर्मला देवी आयु 78 वर्ष पत्नी श्री बलवन्त सिंह पुत्री सरताज सिंह जाति राजपूत निवासी लछू तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
3. कौशल्या देवी आयु 65 वर्ष पत्नी श्री अनूप सिंह पुत्री सरताज सिंह जाति राजपूत निवासी लछू तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

––– प्रार्थीगण

बनाम्

1. नरेश सिंह पुत्र श्री सरजात सिंह जाति राजपूत निवासी बिलासपुर तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
2. सत्या देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी धोबीघाट सोलन तहसील व जिला सोलन (हि.प्र.)
3. मेजर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र जाति राजपूत निवासी धोबीघाट सोलन तहसील व जिला सोलन (हि.प्र.)
4. विनोद कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी धोबीघाट सोलन तहसील व जिला सोलन (हि.प्र.)
5. अशवनी कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी धोबीघाट सोलन तहसील व जिला सोलन (हि.प्र.)
6. सुषमा पत्नी श्री शिव कुमार जाति राजपूत निवासी बनखण्डी तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
7. लता रानी पत्नी श्री पवन सिंह जाति राजपूत निवासी बिलासपुर तहसील देहरा जिला कांगडा (हि.प्र.)
8. आदित्य पुत्र श्री पवन सिंह जाति राजपूत निवासी बिलासपुर तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
9. सृजना पुत्री श्री पवन सिंह जाति राजपूत निवासी बिलासपुर तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
10. सपना पुत्री श्री पवन सिंह जाति राजपूत निवासी बिलासपुर तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)
12. उप पंजीयक अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

––– अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.03 12:43:22 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील–

1. श्री दिनेश कुमार कामरा एडवोकेट –प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री राजेश कुमार डाल एडवोकेट –अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

दिनांकः–12.11.2024

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील अनूपगढ के चक न.–11 एल.एम का मुरब्बा नं.–21 पत्थर नं.–240/32 का किला नं.–1 ता 25 का 6.325 हैक्टर रकबा सरताज सिंह पुत्र वीर सिंह के नाम खातेदारी कृषि भूमि है। सुविधा की दृष्टि से एवं तथ्यो की पुनरावृति के दोष से बचने के लिये इस भूमि 6.325 हैक्टर रकबा को आईन्दा विवादित भूमि दर्ज किया जावेगा। जमाबन्दी की प्रतिलिपी सलंग्न वाद पत्र है। प्रार्थी नं.–1 पहले आबादी नाईयांवाली कलोनी में मकान बनाकर मय परिवार निवास करता रहा और अब आबादी 11 एल.एम में मकान बना कर मय परिवार निवास कर रहा है। विवादित भूमि को काबिल काशत बनाने में आरम्भ से ही मेहनत व खर्चा प्रार्थी नं.–1 ने किया है। विवादित भूमि के किला नं.–5 में प्रार्थी नं.–1 ने मन्दिर का निर्माण भी किया है जहां काफी श्रदालु आस्था स्वरुप दर्शन करने आते हैं। प्रार्थी नं.–1 ने गत वर्ष 750 बालू रेत की ट्राली विवादित भूमि में डलवाई है ताकि इस भूमि की उपजाउ क्षमता बनी रहे। प्रार्थी नं.–1 के पिता का देहान्त 10–07–2002 को हो चुका है। विवादित भूमि की आमदन का हिसाब किताब प्रार्थी नं.–1 पहले अपने पिता को उनके जीवनकाल तक देता रहा और उनका देहान्त होने पर विवादित भूमि की आमदन अपने–अपने हिस्सानुसार उनके उतराधिकारियों को अदा करता चला आ रहा है। पिता के सभी उतराधिकारियो यानि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण नं.–1 ता 10 के मध्य आपस में सदैव विश्वास व सदभावना रही है। प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नं.–1 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थीगण नं.–2 ता 6 का 1/6 हिस्सा और अप्रार्थीगण नं.–7 ता 10 का 1/6 हिस्सा का हक बनता है। लेकिन अप्रार्थीगण नं.–1 ता 6 का मन अब अचानक चलायमान हो चुका है जिनके दिल में लालच व बेईमानी आने के कारण वह आपसी विश्वास व सदभावना को दरकिनार करते हुये विवादित भूमि में अपने 2/6 हिस्सा को वशिष्ठ किलाजात के हिसाब से अन्य किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित करने की फिराक में हैं। चार दिन पूर्व दो छंदकंरू अजनबी झगडालू प्रवृति के व्यक्ति मौका पर विवादित भूमि को देखने आये। पूछने पर वादी नं.–1 को इन दोनो व्यक्तियो ने बताया कि उनकी अप्रार्थीगण नं.–1 ता 6 के साथ सौदा की बातचीत चल रही है और वह वशिष्ठ किला नं.– का इकरारनामा कर खड़ी फसल उन मौका के वशिष्ठ किला नं.– पर कब्जा भी कर लेंगे। इस पर वादी नं.–1 ने प्रार्थीगण नं.–2 व 3 एवं अप्रार्थीगण नं.–7 ता 10 को जानकारी दी और फिर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण नं.–1 ता 6 के साथ जब सम्पर्क कर उक्त आये दोनो व्यक्तियो के बारे में पूछताछ की तब अप्रार्थीगण नं.–1 ता 6 ने स्वीकार कर कहा कि अमूक दोनो व्यक्ति उनके द्वारा ही भिजवाये गये थे जिनके साथ अब सौदे की बातचीत होने ही वाली है। इस पर प्रार्थीगण ने [illegible] नं.–1 ता 6 को समझाईश कर आग्रह किया कि वह विवादित भूमि का [illegible] तत्काल अपने–अपने नाम से दर्ज करवा लेवे एवं मुताबिक जमीन किस्म आपस [illegible] बंटवारा भी कर लेवे जिस पर अप्रार्थीगण नं.–1 ता 6 ने कहा कि उन्होंने सक्षम अधिकारी से वारसान प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और विरास्तन इन्तकाल होते ही विवादित भूमि का बंटवारा करवाये बिना ही वशिष्ठ किला नं.– के इकरारनामा द्वारा ही विवादित भूमि में अपने 2/6 हिस्सा को हस्तान्तरित कर कब्जा भूमि भी क्रेता को सौंप देंगे। विवादित भूमि के किला नं.–5 ता 25 के साथ–साथ रास्ता खेत बना हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.03 12:43:22 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अप्रार्थीगण नं.–1 ता 6 जिनका विवादित भूमि में 2/6 हिस्सा भूमि है और वह इस 2/6 हिस्सा भूमि को जरिये इकरारनामा या किसी अन्य किसी दस्तावेज के जरिये वशिष्ठ किला नं.– को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने के अपने गैर कानूनी मन्सूबे में यदि कामयाब हो गये तब ऐसी सूरत में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन मुद्रा में नही किया जा सकता है एवं पक्षकारो के मध्य आपसी विवाद को बढ़ावा मिलेगा। इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थीगण नं.–1 ता 6 के विरुद्ध इस बावत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी अधिकारी हैं। अप्रार्थीगण नं.–7 ता 10 प्रार्थीगण के साथ समयाभाव के कारण वाद पेश करने के इच्छुक नही हैं इसलिये उन्हें तरतीबी पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी नं.–11 लैण्ड होल्डर है इसलिये पक्षकार बनाया है। जबकि अप्रार्थी नं.–12 को विवादित भूमि के हस्तान्तरण के दस्तावेज को पंजीवद्ब करने का अधिकार प्राप्त है इसलिये पक्षकार बनाया गया है। यह कि तहसील अनूपगढ के चक नं.–11 एल.एम का मुरब्बा नं.–21 पत्थर नं.–240/32 का किला नं.–1 ता 25 का 6.325 हैक्टर रकबा का बंटवारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं.–1 ता 10 के मध्य मुमाबिक हिस्सा एवं मुताबिक जमीन किस्म नही हो जावें एवं प्रार्थीगण को विनिर्दिष्ट हिस्सा आंवटित ना हो जावे तब तक अप्रार्थीगण नं.–1 ता 6 अपने हिस्सा 2/6 विनिर्दिष्ट हिस्सा को किसी भी प्रकार से किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने वर्जित रहें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 ता 6 ने प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। चक–11 एल.एम नाईयांवाली में निवास करना स्वीकार है। मन्दिर प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने मिल कर व चंदे से बनाया है। रेत आदि भी सारी भूमि मे मिल कर डलवाई है। उक्त भूमि पहले पिता संभालते थे उसके बाद सभी वारिसान अपने–2 हिस्से की स्वय देख रेख करते है। कभी भी प्रार्थीगण को उक्त रकबा काश्त करने हेतु नही दिया। स्वंय अपने हिस्सा की भूमि काश्त करते हैं। कभी भी अप्रार्थीगण सं–1 ता 6 के मध्य सदैव विश्वास व सद्भावना नही रही। अप्रार्थीगण सं–1 ता 6 के मन मे कभी भी लालच व बेईमानी नहीं आई उल्टा प्राथीगण के मन में लालच आ गया है वह अप्रार्थीगण सं–1 ता 6 के हिस्सा की जमीन पर कब्जा करना चाहते है। अप्राधीगण सं–1 ता 6 भी किला विभाजन करवाने को तैयार है पहले घरेलु मौखिक किला विभाजन हुआ है उसी अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहते है फिर भी दोबारा भी प्रार्थीगण चाहे तो विभाजन करवा लेवें तो अप्रार्थीगण स–1 वा 6 को कोई एतराज नही है। अप्रार्थीगण सं–1 त्ता 6 खातेदार मालिक है तथा वह अपने हिस्सा को बेचना चाहे तो स्वतंत्र है लेकिन प्रार्थीगण जानबुझ कर बेचान ना हो तथा रकबा को कोडियो के भाव [illegible] आड मे कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थीगण अपने हिस्सा के रकबा के [illegible] है तथा अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई स्थगन [illegible] नही किया जा [illegible] है। अप्रार्थीगण सं–1 ता 6 केवल मात्र अपना हिस्सा [illegible] कि अप्रार्थीगण अपना हिस्सा ना बेचान करे लिए [illegible] अगर अप्रार्थीगण सं–1 ता 6 के खिलाफ स्थगन पारित किया जाता है तो अप्रार्थीगण सं–1 ता 6 को अपूर्णीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण को रूपयो की नितांत आवश्यकता है जिसका प्रार्थीगण बेजा फायदा उठा रहे है। उक्त जमीन के अलावा अप्रार्थीगण को रूपया मिलने का अन्य कोई जरिया नही है। अप्रार्थीगण को अपने बच्चो की शिक्षा

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़ सत्यमेव जयते

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.03 12:43:22 IST
Reason: SelfAttested

व घरू जरूरत हेतु रूपयो की जरूरत है। अप्रार्थीगण केवल मात्र अपना हिस्सा बेच रहे है जिस पर गलत तथ्यो पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर स्थगन लिया है। अप्रार्थीगण सं–1 ता 6 खातेदार मालिक है तथा अपनी जमीन बेचने पर किसी प्रकार की रोक नही लगाई जा सकती। फिर अप्रार्थीगण सं–1 ता 6 कोई विशिष्ट किला बेचान नही कर अपना हिस्सा बेचान कर रहे है। स्थगन की आड़ में प्रार्थीगण उक्त जमीन पर कब्जा करना चाहते है तथा अप्रार्थीगण सं–1 ता 6 को अपना हिस्सा बेचने से रोक रहे है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि संयुक्त खाता की है जिसका अभी तक विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 विवादित कृषि भूमि के सह–काश्तकार व सह–खातेदार है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 बिना विभाजन करवाये अपनी भूमि का विक्रय कर सकते है इसलिए तमाम कृषि भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि के अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 सह–काश्तकार व सह–खातेदार है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 6 विवादित कृषि भूमि मे अपने हिस्सा की जा सकता। अप्रार्थीगण सह–काश्तकार हैं तथा सह–काश्तकारान के विरूद्ध किसी प्रकार की अनिषेधाज्ञा या स्थगन प्रदान नहीं किया जा सकता और ना ही सह–काश्तकारान को अपने हिस्सा भूमि का विक्रय करने/हस्तान्तरित करने से निर्बन्धित नहीं किया जा सकता है। संयुक्त सम्पत्ति के सभी सह–अंशधारी कब्जा में होने माने जाते हैं तथा सह–स्वामी/सह–काश्तकार बिना विभाजन के अपने हिस्से की सम्पत्ति को विक्रय करने के हकदार है प्रथम दृष्ट्या प्रकरण तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीगण के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– यह कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की सम्पति है। जिसमे प्रार्थीगण का हित निहित है। वादग्रस्त कुल सम्पति 6.325 हैक्टर में प्रार्थीगण सं.–1 कृष्ण सिंह एंव प्रार्थीगण संख्या 2 निर्मला देवी एवं कौशल्या [illegible] हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है तथा अप्रार्थीगण को इस [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहते है कि वे अपनी भूमि [illegible] विक्रय या हस्तान्तरित [illegible] सह–खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता और ना ही सह–खातेदार काश्तकार को उसके हिस्से की भूमि का बेचान करने से निर्बन्धित किया जा सकता है। सह–खातेदार बिना विभाजन करवाये अपनी सम्पति को विक्रय करने अथवा काश्त करने के हकदार है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने या अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि विक्रय/हस्तान्तरित व काश्त करने से निर्बन्धित करवाने के अधिकारी नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.03 12:43:22 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर अनूपगढ़

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से भी उक्त तथ्य व विधिक सिद्धान्तों को बल मिलता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलन :– जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण के अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 अपने बीमारी के इलाज व अन्य जरूरतो से वंचित हो जावेगें एवं अप्रार्थीगण कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षति :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थीगण अपने पक्ष में दोनो बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। अप्रार्थीगण जो कि सह–खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थीगण न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक–**12.11.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश राव)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.03 12:43:22 IST
Reason: SelfAttested